# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी, श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

अपील संख्या 62 / 2018

**अपीलान्ट**

1. छगनसिंह पुत्र राणसिंह
2. ओमप्रकाश पुत्र राणसिंह
   जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितो की ढाणी तहसील पचपदरा

**उत्तरदातागण**

1. ग्राम पंचायत पाटोदी जरिये सरपंच
2. गुमानसिंह पुत्र पुत्र राणसिंह
3. दरियाकंवर पत्नि राणसिंह
4. आम्बसिंह पुत्र भैरसिंह
5. पुखसिंह पुत्र भैरसिंह
6. हरिसिंह पुत्र भैरसिंह
7. पारससिंह पुत्र भैरसिंह
8. देवीसिंह पुत्र भैरसिंह
9. छगनकंवर पत्नि भैरसिंह
   जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितो की ढाणी तहसील पचपदरा

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 05.05.1995 को पारित आदेश ग्राम पंचायत पाटोदी के द्वारा ।**

उपस्थितिः— 1. श्री रूघाराम कड़वासरा वकील अपीलान्ट

**निर्णय** दिनांक 15.02.2021

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 10 के स्वंय की पैतृक खोतेदारी खसरा नम्बर 4083 रकबा 0—13 , खसरा नम्बर 4085 रकबा 17—09 बीघा, खसरा नम्बर 4165 रकबा 19—11 बीघा सरहद मौजा भाखरसर में आयी हुई है, जिसमें स्व0 राणसिंह की फौतगी पर नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 05.05.1995 भरा गया जिसमें शैतानसिंह, गुमानसिंह, व प्रेमसिंह पि0 राणसिंह एवं दरियाकंवर पत्नि राणसिंह के नाम से दर्ज किया गया अपीलान्ट संख्या 01 का नाम छगनसिंह के स्थान पर शैतानसिंह एवं अपीलान्टसं संख्या 02 का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर प्रेमसिंह दर्ज किया गया है, अन्य सभी दस्तावेजात में अपीलान्टस के सही नाम छगनसिंह एवं ओमप्रकाश सही दर्ज है।

अपीलान्ट ने अन्त में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत पाटोदी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 02 ग्राम भाखरसर का दिनांक 05.05.1995 को प[illegible]ीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से प्रमाण पत्र [illegible] कर निवेदन किया गया [illegible] राणसिंह के तीन पुत्र छगनसिंह, ओमप्रकाश, गुमानसिंह ही है।

हमनें विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह स्पष्ट साबित है कि ग्राम पंचायत भाखरसर के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणःपत्र दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

14.06.2018 से स्पष्ट है कि स्वर्गीय राणसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह तीन पुत्र छगनसिंह, ओमप्रकाश, गुमानसिंह हुए है। एवं उनकी धर्म पत्नि दरियाकंवर है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपती प्रतीत नहीं होती है।

अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत पाटोदी के द्वारा ग्राम पतासर के नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 05.05.1995 को पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तहसीलदार पचपदरा को पुनः प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे स्वर्गीय राणसिंह के विधिक उत्तराधिकारी की जांच स्वंय करवाते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 15.02.2021 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) • बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:15:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner